जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./14/डी– 926 दिनांकः– 18/7/14

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 108वीं बैठक दिनांकः 15.07.14 को अपराह्न 03.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		108:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 107वीं बैठक दिनांक 18.06.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं पालना रिपोर्ट की समीक्षा हेतु।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 107वीं बैठक दिनांक 18.06.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 104, 105, 106 व 107 की समीक्षा के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देश दिये कि जिन प्रकरणों में राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु लिखा गया हैं, उनमे स्मरण पत्र जारी किया जावे। आयुक्त महोदय द्वारा जिन उपायुक्तों के द्वारा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है, उन्हें पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।
2.	10	108:2	पालडी मीणा योजना में श्रीमति रफीका पत्नी श्री अब्दुल मजीद, श्रीमति रूबीना पुत्री श्री अब्दुल रसीद व श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री मजीद खॉं को विनिमय में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्रीमति रफीका, श्रीमति रूबीना व श्री अब्दुल अजीज को पालडी मीणा योजना के ए–ब्लॉक में 40 वर्गमीटर के 22 रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा प्रत्येक को एक–एक भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	11	108:3	पुलिस थाना भांकरोटा के प्रशासनिक भवन एवं पदस्थापित स्टाफ के निवास हेतु आवास गृह निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करने बाबत।	पुलिस थाना भांकरोटा के प्रशासनिक भवन एवं पदस्थापित स्टाफ के निवास हेतु आवास गृह निर्माण के लिए ग्राम भांकरोटा के खसरा नं. 1454 रकबा 0.19 हैक्टेयर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। भूमि पर जाने हेतु वर्तमान में एप्रोच रोड नहीं है। अतः यह भी निर्णय लिया गया कि पुलिस विभाग पी.डब्ल्यू.डी. से अपने स्तर पर रास्ते की उपलब्धता के संबंध में कार्यवाही करे।
4.	13	108:4	बापू नेचर क्योर हॉस्पिटल एण्ड योगाश्रम देहली को ग्राम दौलतपुरा में 2 एकड भूमि आवंटन करने बाबत।	बापू नेचर क्योर हॉस्पिटल एवं योगाश्रम देहली को बी.डी. के निर्णय दिनांक 11.03.08 से ग्राम दौलतपुरा में 2 एकड भूमि कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी दर पर आवंटन की गई थी। आवंटी द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करा दी गई थी। उपायुक्त जोन द्वारा ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1340/2 में से 2 एकड भूमि डीएलसी दर पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को 2 एकड भूमि डीएलसी दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि की प्लानिंग कराने के निर्देश उपायुक्त को दिये गये।
5.	13	108:5	ग्राम पंचायत श्यामपुरा ग्राम चॉंदावास तहसील आमेर में 33/11 केवी ग्रिड सबस्टेशन हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	ग्राम पंचायत श्यामपुरा के ग्राम चॉंदावास तहसील आमेर में 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को खसरा नं. 855 क्षेत्रफल 15.97 हैक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				निर्णय लिया गया। जोन उपायुक्त को यह भी निर्देश दिये गये कि शेष भूमि की प्लानिंग करवाई जावे।
6.	13	108:6	ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा के खसरा नं. 592 में से दुग्ध उत्पादन महिला सहकारी समिति लि0 काल्याकावास को डेयरी हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त नगरीय विकास विभाग के आदेश प.3(603)नविवि/3/2013 दिनांक 18.03.13 व पत्रांक प.3(837)नविवि/3/2011 दिनांक 24.02.14 के परिपेक्ष्य में दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति काल्यावास को जोन की आवासीय आरक्षित दर पर 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।
7.	13ए	108:7	राजस्व ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 270, 275, 276, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/4, 285 व 929/281 कुल किता 10 कुल रकबा 53 बीघा 02 बिस्वा की 1,22,166 वर्गमीटर की भूमि में से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु आवेदक से निःशुल्क छुडवाई गई 6610 वर्गमीटर भूमि के आवंटन बाबत।	श्री प्रदीप मित्तल एवं श्री मनोज मित्तल द्वारा ग्राम कानोता में खसरा नं. 270, 275, 276, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/4, 285 व 929/281 कुल किता 10 कुल रकबा 53 बीघा 02 बिस्वा में से रिसोर्टस प्रयोजनार्थ 1,22,166 वर्गमीटर निजी खातेदारी की भूमि जिसका पट्टा विलेख दिनांक 15.01.13 को जारी किया गया है, में से सुविधा क्षेत्र हेतु छोडी गई 5 प्रतिशत 6610 वर्गमीटर भूमि 100 प्रतिशत आवासीय आरक्षित दर पर हरे पेड पौधे लगाने व खुले क्षेत्र के काम में लिये जाने हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा उक्त भूमि के आवंटन व दर निर्धारण हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर 6610 वर्गमीटर भूमि हरे पेड पौधे लगाने व खुले क्षेत्र के काम में लिये जाने हेतु आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
8.	14ए	108:8	श्री चन्द्रभान गुप्ता को जविप्रा की आवासीय योजना सालिगरामपुरा के भूखण्ड संख्या बी–12 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए–108 के विनिमय के संबंध में।	श्री चन्द्रभान गुप्ता को सालिगरामपुरा योजना में भूखण्ड संख्या बी–12 क्षेत्रफल 277.75 वर्गमीटर का आवंटन दिनांक 17.04.97 को किया गया था। उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण होने से आवंटी द्वारा दूसरा भूखण्ड आवंटन का अनुरोध किया हैं। उपायुक्त जोन–14ए द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए–108 क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या बी–12 के स्थान पर ए–108 विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
9.	13	108:8(1)	माननीय न्यायालय राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण मंच जयपुर द्वारा अपील संख्या 1618/2011 राजाराम बनाम जविप्रा में पारित निर्णय दिनांक 18.11.13 की पालना में पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–205 कल्पना नगर के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	श्री राजाराम वर्मा पुत्र श्री एल. आर. मीना ने कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–205 क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने के सबंध में माननीय न्यायालय राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण राजस्थान, जयपुर अपील संख्या 1618/2011 राजाराम बनाम जविप्रा में पारित निर्णय दिनांक 18.11.13 की पालना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा भूखण्ड संख्या बी–205 क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर रोड चौडाई 9 मीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या सी–450 से सी–454 क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर रोड चौडाई 9 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर कल्पना नगर योजना के भूखण्ड संख्या सी–450 से सी–454 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

10.	14	108:8(2)	महर्षि दयानन्द शिक्षा समिति को रोहिणी नगर तृतीय में उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 6016 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने बाबत।	महर्षि दयानन्द शिक्षा समिति द्वारा रोहिणी नगर तृतीय में 6016 वर्गमीटर भूमि उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने हेतु आवंटन का अनुरोध किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को रोहिणी नगर तृतीय में स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्ड 6016 वर्गमीटर में से 4068 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।
11.	7	108:8(3)	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा को जय चामुण्डा गृ.नि.स.स. की योजना कृष्णा नगर के भूखण्ड संख्या 6 का मौके के अनुसार बढे हुये क्षेत्रफल की गणना कर पट्टा जारी करने बाबत।	श्री देदेन्द्र कुमार शर्मा जय चामुण्डा गृ.नि.स.स. योजना कृष्णा नगर के भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 465 वर्गगज में बढे हुए क्षेत्रफल 47.5 वर्गगज को योजना की आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढे हुये क्षेत्रफल 47.5 वर्गगज को योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
12.	13ए	108:8(4)	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र 14 शिक्षकों को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत निम्नांकित 14 शिक्षकों को कल्पना नगर आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर का नॉन कॉर्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया:– 1. श्री सुरेश चन्द गोस्वामी 2. श्रीमति अंजु श्रीवास्तव 3. श्री इंदु कुमार शर्मा 4. सुश्री कमल पानगडिया 5. श्रीमति प्रेमलता चौहान 6. श्री मोहनलाल अग्रवाल 7. श्री सुभाष कुमार जैमन 8. श्री रमेश चन्द्र शर्मा 9. श्रीमति मधु गुप्ता 10. श्री ध्रुवचन्द्र शर्मा 11. श्री रामनिवास तिवारी 12. श्री ओमप्रकाश शर्मा 13. श्री गणेश प्रसाद शर्मा 14. श्री महेश कुमार
13.	11	108:8(5)	राज्य आपदा कार्यवाही बल (SDAF) को ग्राम गाडोता के खसरा नं. 420 व 580 में 17.60 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत।	राज्य आपदा कार्यवाही बल को ग्राम गाडोता के खसरा नं. 420 में से 14.32 हैक्टेयर व खसरा नं. 580 रकबा 3.28 हैक्टेयर कुल 17.60 हैक्टेयर भूमि प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन व प्रशिक्षण स्थल हेतु जोन की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	7	108:8(6)	मेजर महेश कुमार कीर्ति चक्रधारी एवं मेजर प्रशान्त सिंह चूण्डावत शौर्य चक्रधारी को चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या सी–652 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर एवं ई–258 क्षेत्रफल 160.05 वर्गमीटर (कॉर्नर) के आवंटन करने बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत मेजर महेश कुमार कीर्ति चक्रधारी को चित्रकूट आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी–652 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर व मेजर प्रशान्त सिंह चूण्डावत शौर्य चक्रधारी को भूखण्ड संख्या ई–258 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 160.05 वर्गमीटर भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। नियमों में अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है। अतः

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				32 वर्गमीटर अधिक क्षेत्रफल व दर के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे। भूखण्ड संख्या ई–258 कॉर्नर है, इसके लिए भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
आयुक्त महोदय की अनुमति से उपायुक्तों द्वारा बैठक के दौरान प्रस्तुत टेबल एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
15.	10	108:8(7)	नगर निगम, जयपुर को सुमेल योजना में विस्थापित परिवारों को पुनर्वास करने हेतु भूखण्ड आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा नगर निगम जयपुर द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर से बंगाली बाबा आश्रम तक ग्रीन वैली परियोजना से प्रभावित लगभग 417 परिवारों को हटाया जाकर सुमेल योजना में पुनर्वास करने हेतु 417 भूखण्ड 40 वर्गमीटर व 45 वर्गमीटर के आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर नगर निगम, जयपुर को सुमेल योजना के सी–ब्लॉक में रिक्त 40 व 45 वर्गमीटर के 417 भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस राशि का समायोजन जयपुर नगर निगम को समय–समय पर जमा कराये जाने वाले अंशदान में किया जावे।
16.	13ए	108:8(8)	एम.बी. शिक्षा समिति, जयपुर को साईस टेक सिटी योजना, अचरोल में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु 30 एकड भूमि आवंटन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि एम.बी. शिक्षा समिति, जयपुर को ग्राम अचरोल स्थित साईस टेक सिटी योजना का भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 57389.46 वर्गमीटर संस्थानिक आरक्षित दर पर चिकित्सा विभाग की भूमि आवंटन हेतु अनुशंषा प्राप्त कर प्रस्तुत करने की शर्त पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
17.	7 व 12	108:8(9)	ग्राम बीडखातीपुरा के खसरा नं. 24/2 पर स्थित खिरणी फाटक कच्ची बस्ती के अतिक्रमी परिवारों को ग्राम मूण्डियारामसर में पुनर्वास करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा ग्राम बीडखातीपुरा के खसरा नं. 24/2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा पर स्थित कच्ची बस्ती के सर्वेशुदा 79 परिवारों को ग्राम भूण्डियारामसर स्थित पुनर्वास योजना में पुनर्वासित करने हेतु 30 वर्गमीटर के भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि पर आवंटन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि कच्ची बस्ती में काबिज उन परिवारों को जिनका वर्ष 2004 की सर्वे सूची में नाम दर्ज है एवं दिनांक 15.08.09 से पूर्व के कब्जे के प्रमाण उपलब्ध है, को मूण्डियारामसर स्थित पुनर्वास येाजना में 30 वर्गमीटर के भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
18.	7	108:8(10)	मैसर्स जयपुर टेलिकॉम प्रा. लि. को वैशाली नगर को व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 2100 वर्गमीटर में बढे हुये क्षेत्रफल 80.82 वर्गमीटर की भूमि को आवंटन बाबत।	वैशाली नगर की व्यावसायिक योजना के एफ ब्लॉक में भूखण्ड संख्या 3 के सामने उपलब्ध स्ट्रीप ऑफ लैण्ड क्षेत्रफल 80.82 वर्गमीटर के आवंटन के संबंध में उक्त स्ट्रीप ऑफ लैण्ड का अलग से उपयोग नहीं होने व सडक क्षेत्र का हिस्सा न होने से बढे हुये क्षेत्रफल के निर्णय हेतु उपायुक्त जोन–7 ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। चूंकि बढा हुआ क्षेत्रफल व्यावसायिक योजना के भूखण्ड का हिस्सा है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को व्यावसायिक डीएलसी दर पर आवंटन की स्वीकृति के संबंध में प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
19.	12बी	108:8(11)	श्री नन्दलाल सिंह जोधा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को भूखण्ड	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत श्री नन्दलाल सिंह

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			आवंटन बाबत।	जोधा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को आनन्द लोक आवासीय योजना का भूखण्ड संख्या ई–399 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिन एकल पट्टे की योजनाओं की आवासीय आरक्षित दर निर्धारित नहीं है, उनकी दर जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी मानी जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
प्राति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, एवं नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 108वीं बैठक दिनांक 18.06.14 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
5.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री गिरि राज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आर0एम0एण्ड सी0)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री बृजेश शर्मा, विशेषाधिकारी (आर. एम.)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री सुनील भाटी, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
10.	श्री लोकेश सहल, उपायुक्त जोन–10 व 10ए	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित